न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 01/2026 **GCMS No. 2026/01**

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1. हड़मान सिंह पुत्र श्री पेमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी मंड़ली तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा		1. बालुसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपुरोहित 2. गुमानसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपुरोहित 3. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान मंड़ली तह. कल्याणपुर, जिला बालोतरा 4. तहसीलदार कल्याणपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक – राजस्व/2025/201/ दिनांक 16.10.2025 तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्टान की संयुक्त भूमि के विभाजन आदेश दिनांक 16.10.2025 विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री हड़मान सिंह पुत्र श्री पेमसिंह, जाति राजपुरोहित अपीलांट स्वयं उपस्थित।
3. बालुसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपुरोहित रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
4. गुमानसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपुरोहित, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वयं उपस्थित।
5. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित रेस्पोडेन्ट संख्या 03 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 28.01.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/ 201 दिनांक 16.10.2025 को तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील कल्याणपुर के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 896, 908, 909 कुल रकबा 16.0231 हैक्टेयर वीलों की ढाणी पटवार हल्का मंड़ली में अवस्थित रही है, जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान प्रशासन गांवों के संग अभियान में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। पर ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा बंटवाड़ा की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील कार्यालय कल्याणपुर जाकर दिनांक 02.01.2026 को चाही तो पता लगा कि वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी सह खातेदारान के मध्य बंटवाडा के अनुसार तरमीम होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया अधिवक्ता अपीलांटसं कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।
2. अतः अपीलांट एवं रेस्पोड़ेट द्वारा लोक अदालत कि भावना से प्ररित होकर लिखित में आपसी राजीनामा पेश किया है जिसे बाद जांच शामिल मिसल किया गया। हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोड़ेट सख्या 1 सें 03 की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि यह आवश्यक था, कि सह खातेदारान के मध्य जब संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावे, तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियों, पानी के टाकों, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही हैं, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, जिस वक्त अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता. 3 ने विभाजन कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये तब ऐसे लट्ठा ट्रेस नक्शे में सहखातेदरान के विभाजित हिस्से में रंग भरकर अलग नहीं किया हुआ था, इस कारण ऐसे तथ्यों की जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को नहीं हुई, इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरों का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया और पक्षकारान अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु रजामंद है। ऐसी सूरत में राजीनामा माफिक अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अतः बाद विवेशन अपील अपीलांट पक्षकारान की ओर से आपसी राजीनामा के आधार स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कल्याणपुर आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/201 दिनांक 16.10.2025 को अपास्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं मौके पर कब्जे काश्त, हिस्सा अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

4. निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा